

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL


31-8-10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24 SEP 2012


E 086118

Sub. Treasury Sakaldiha Chandauli



संतोष कुमार सिंह
संतोष कुमार सिंह

nb mvs/ben - 11/29/2012



सैन्य सेना झंडा दिवस



संख्या - 7 DECEMBER
ED FORCES FLAG DAY

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट
न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 30/11/2012 को संतोष कुमार सिंह पुत्र कन्हैया ह, निवासी-ग्राम-कैथी, पो-गुरेरा, तहसील-सकलडीहा, जिला-चन्दौली (उ0प्र0) द्वारा धादित किया गया, जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक रु0 5,100/- (रुपये पाँच हजार एक सौ मात्र) की राशि सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय चैरिटेबुल न्यास (Irrevocable Charitable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवम् विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और यह ट्रस्ट 'विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट' के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से जिसमें दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित हैं, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवम् साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सकें।

संतोष कुमार सिंह



भारतीय न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 521620

(2)

और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रु० 5,100/- (रुपये पाँच हजार एक सौ मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चल-अचल सम्पत्ति न्यास में नहीं है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय प्लॉट नं० 360, ग्राम-कैथी, पो०-गुरेरा, जिला-चन्दौली (उ०प्र०) रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट :

उद्देश्य एवं नियमावली :

(A) ट्रस्ट के उद्देश्य :-

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आवद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिवदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आवद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

शेखर कुमार सिंह